जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 129/2016 अनवानी गुरसेब सिंह ग्रेवाल गांव अमरपुरा जाटान वाया सूरतगढ बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

16–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> उपरोक्त के संबध में मैने अपने पत्र 4 दिनांक 04.02.2016 द्वारा इस पत्राचार के बारे में कार्यवाही की सूचना मांगी थी।
>
> राज्य सरकार के आदेश की पालनो में आप को मेरे ज्ञापन पर की गई कार्यवाही की सूचना मुझे उपलब्ध करवाई जानी थी। (अपने स्तर पर ही परन्तु इस की पालना नही की)
>
> 1. इस के जो भी कारण है की सूचना उपलब्ध कराई जावे।
> 2. मेरे ज्ञापन पर जो रिपोर्ट टिप्पणी
>   1. तहसीलदार सूरतगढ ने दी है।
>   2. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने की है की नकल सूचना उपलब्ध कराई जावे।
> 3. आप के कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की नकल सूचना उपलब्ध कराई जावे।
> 4. इस विषय में जो कोई अन्य पत्राचार है तो उसकी नकल।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.04.16 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन सं0 2778 दिनांक 31.08.16 प्रस्तुत किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है और सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र के बाहर है। इस संबंध में अपीलार्थी को पत्र सू0 1842 दिनांक 20.05.16 के द्वारा सूचित कर दिया गया था।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 1842 दिनांक 20.05.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पत्र में चाही गई सूचना के संबध में स्पष्ट विवरण अंकित नही है, जिस कारण सूचना दी जानी संभव नही है। अतः आप चाही जाने वाली सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित करें ताकि सूचना दी जा सके।

जिला कलेक्टर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट व निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 20.05.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से वह जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर